राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : जीएनएम/प्रशि/2012/1015 दिनांक : 27.8.2012

परिपत्र

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F.24(27)/चि.स्वा./ग्रुप 3/2009 दिनांक 08.09.09 के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि नर्सिंग छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक राशि नहीं ली जावे और जो हॉस्टल में रहते हैं उन्ही से हॉस्टल फीस ली जावे तथा किसी भी छात्र से बैंक गारन्टी नहीं ली जावे।

इसी क्रम में इस निदेशालय के परिपत्र क्रमांक प्रशि/जीएनएम/09/438 दिनांक 14.09.09 के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा इन निर्देशों की अवहेलना की स्थिति को सम्बंधित संस्थान के खिलाफ राज्य सरकार स्तर से उसकी NOC निरस्त करने की कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

इस निर्देशालय के ध्यान में लाया गया है कि अब भी कुछ संस्थाएं जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेशित छात्रों से निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग कर रहे हैं। संस्थान स्तर पर हो रही ऐसी अनाधिकृत कार्यवाही को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुनः सभी संस्थान प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार/इस निदेशालय से जारी उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे, अन्यथा किसी छात्र से निर्धारित राशि से अधिक राशि यदि किसी भी मद से ली जाना पाया जायेगा तो ऐसे संस्थान की NOC निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावित कर दिया जावेगा, जिसके लिए ऐसी संस्थान स्वयं का दायित्व होगा।

21/8

(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : जीएनएम/प्रशि/2012/1015 दिनांक : 27.8.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस आशय का समाचार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. सचिव समन्वयक, राजस्थान प्रा. नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन को प्रेषित कर लेख है कि आपके स्तर से सभी संस्थानों को उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाचार्य, समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

21/8

(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर